# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर राज.

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण , आर.ए.एस.

| मु.न. | प्रवेश तिथि | निर्णय तिथि |
|---|---|---|
| 05 / 22 | 19.01.2022 | 24.01.2022 |

उनवान

1. शेरखा पुत्र मल्हू जाति मेव निवासी घासोली तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.
1. रम्भू पुत्र मल्हू जाति मेव निवासी घासोली तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास ,लैण्ड होल्डर , किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– प्रतिवादी

रिव्यू आदेश निर्णय दिनांक 12.01.2022 के बाबत।

..............................

उपस्थितिः–

1. वादीगण स्वयं उपस्थित ।

## –:रिव्यू निर्णयः–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद निर्णय दिनांक 12.01.2022 का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैः–

वकील वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 01 रकबा 0.67 हे., 80 रकबा 0.23 हे. कता 2 रकबा 0.90 हे. वाके ग्राम महरमपुर तहसील किशनगढबास की आराजी है जिसके हाल खसरा नम्बर 01 रकबा 0.67 हे. जिसका साबिक खसरा नम्बर 1 रकबा 0–19 बिस्वा , 02 रकबा 1–00 बीघा , 21 मिन रकबा 0–14 बिस्वा एवं हाल खसरा नम्बर 80 रकबा 0.23 हे. जिसका साबिक खसरा नम्बर 22 मिन रकबा 0–18 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 0.90 हे. वाके ग्राम महरमपुर तहसील किशनगढबास से बना है ।

विवादित आराजी पर मिन वादीगण समभाग पर काबिज काश्त है राजस्व रिकार्ड मे गैर खातदेार दर्ज रिकार्ड है का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध वो सरोकार नही है ना ही मौके पर कब्जा काश्त है सम्वत 2011 मे मिन वादीगण के पिता छोटेखां के नाम का अंकन बाखूबी राजस्व रिकार्ड मे हो रहा है आज भी मौके पर मल्हू पुत्र छोटे के वारिसान मिन वादीगण काबिज काश्त है इसलिए हम राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है ।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तथा आवश्यक साक्ष्य सबूत पेश होने पर तनकीवार विवेचन के आधार पर राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व ग्रुप –6 के नोटिफिकेशन न.एफ.9(16)आरईवी.6 / 18 / 15 जयपुर दिनांक 22.03.2018 के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज उपकृषक / शिकमी काश्तकार के आधार पर नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर हकूक खातेदारी प्रदत्त किये जाने के आदेश निर्णय दिनांक 12.01.2022 मे जारी किया गया। एवं सनद जारी की गई।

प्रकरण मे सज्ञांन होने पर पुनः नम्बर पर लिया जाकर राजस्व वाद के वादीगण को जर्ये कोर्ट नोटिस से तलब किया गया। वादीगण तामिल कोर्ट नोटिस के आधार पर उपस्थित होकर जबाब पेश कर निवेदन किया गया कि श्रीमान न्यायालय के कोर्ट नोटिस मे वर्णित किया गया है कि न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 12.01.2022 के आधार पर सनद सख्या 1510–13 दिनांक 17.01.2022 बाबत आराजी खसरा नम्बर 01 रकबा 0.67 हे. , 80 रकबा 0.23 हे. वाके ग्राम महरमपुर तहसील किशगनढबास की राजस्व

रिकार्ड मे दर्ज गैर खातेदारान अनुसूचित जाति के व्यक्ति है के खिलाफ जारी की गई । के सन्दर्भ मे निवेदन है कि वादीगण द्वारा खसरा नम्बर 01 रकबा 0.67 हे., 80 रकबा 0.23 हे. वाके ग्राम महरमपुर तहसील किशनगढबास का कब्जा ज्योति पत्नि बाबूलाल जाति जाटव निवासी दोहडा को सौप दिया है हमारा उक्त आराजी पर कब्जा नही है ना ही हमारा उक्त से कोई सम्बन्ध वो सरोकार नही है श्रीमान न्यायालय द्वारा मिन वादीगण के पक्ष मे खातेदारी सनद जारी की गई है उसे हम सहमति से सरेण्डर कर निवेदन करते है कि मिन वादीगण के पक्ष मे जारी सनद को सहमति के आधार पर खारिज करने की कृपा करे । तथा वाद के मूल दस्तावेज यथा राजस्व रिकार्ड लौटाये जाने की कृपा करे। मिन वादीगण का आराजी उक्त के बाबत कभी कोई उज्र श्रीमान न्यायालय से नही होगा। अतः श्रीमान न्यायालय से निवेदन है कि मिन वादीगण के पक्ष मे जारी सनद / डिकी को खारिज / निरस्त करने की कृपा करे।

हमने वादीगण को सुना गया। तथा पत्रावली का पुनः अध्योपान्त अवलोकन किया। जमाबन्दी सम्वत 2075–78 मे आराजी खसरा नम्बर 01 रकबा 0.67 हे. एवं खसरा नम्बर 80 रकबा 0.23 हे. वाके ग्राम महरमपुर तहसील किशनगढबास मे दर्ज गैरखातेदारान अनुसूचित जाति के व्यक्ति है तथा राजस्व रिकार्ड मे शिकमी / बकाश्त वादीगण के पिता मल्हू पुत्र छोटे के नाम का अंकन दर्ज राजस्व रिकार्ड है राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गैर खातेदारान पटटेदार की हैसियत दर्ज है जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति है जबकी शिकमी / बकाश्त जो वादीगण के पिता है वह जाति मेव समुदाय के व्यक्ति है आराजी उक्त का अनुसूचित जाति से सामान्य श्रेणी के काश्तकार को भूमि का हस्तानान्तरण नही हो सकता है अनुसूचित जाति के नाम दर्ज पटटेदार की भूमि का हस्तानान्तरण अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ही सकता है किसी सामान्य श्रेणी के काश्तकार को नही। वादीगण द्वारा भी जबाब कोर्ट नोटिस मे भी यह स्वीकार किया है कि आराजी उक्त का कब्जा ज्योति पत्नि बाबूलाल जाति जाटव निवासी दोहडा को सौप दिया है जो अनुसूचित जाति की काश्तकार है तथा यह भी स्वीकार किया है कि आराजी उक्त पर अब हमारा कोई सम्बन्ध वो स्वीकार नही है तथा वादीगण द्वारा लिखित जबाब कोर्ट नोटिस मे भी वादीगण के पक्ष मे जारी निर्णय 12.01.2022 के आधार पर जारी सनद सख्या 1510–13 दिनांक 17.01.2022 को निरस्त एवं खारिज करने निवेदन किया है । तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गैरखातेदार अनुसूचित जाति के व्यक्ति होने के कारण सामान्य श्रेणी को हस्तानान्तरण नही हो सकता है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लघंन है इसलिए हम वादीगण की सहमति /नोटप्रेस के आधार पर जारी निर्णय दिनांक 12.01.2022 एवं उसके आधार पर जारी सनद खातेदारी 1510–13 दिनांक 17.01.2022 को खारिज/ निरस्त किया जाकर रिव्यू आदेश जारी किया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते है ।

अतः आदेश है :–

वाद वादीगण रिव्यू आदेश जारी किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 01 रकबा 0.67 हे., 80 रकबा 0.23 हे. वाके ग्राम महरमपुर तहसील किशनगढबास के बाबत न्यायालय हाजा द्वारा जारी निर्णय / डिकी दिनांक 12.01.2022 एवं उसके आधार पर जारी सनद सख्या 1510–13 दिनांक 17.01.2022 नोटप्रेस वादीगण के आधार पर खारिज / निरस्त किया जाता है निर्णय प्रति तहसीलदार किशनगढबास को सुचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

ओमप्रकाश सहारण<br>
उपखण्ड अधिकारी<br>
किशनगढबास